कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड तेलीबांधा, रायपुर–492006.
फोन–0771–4240501, फैक्स–4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com. website-www.agriportal.cg.nic.in

व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती/संविदा द्वारा रिक्त पदो को भरें जाने संबंधी पदों की जानकारी/संख्या एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, भर्ती के लिए विहित शर्तो की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	पदनाम एवं वेतन मैट्रिक्स	रिक्त पदों की संख्या एवं प्रवर्गवार	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4
(अ) व्यापाम के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा			
1	सहायक संचालक (वेतन मैट्रिक्स लेवल 12– 56100–177500)	03 पद अनारक्षित–01 अ.ज.जा.–01 अ.पि.व.–01	पोस्ट ग्रेजुयेट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग/पोस्ट ग्रेजुयेट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट/एम.एस.सी. इन एग्रीकल्वर इकॉनामिक्स, सहित न्यूनतम 05 वर्ष का प्रबंधकीय अथवा द्वितीय श्रेणी प्रशासनिक पद का अनुभव।
2	उप–अभियंता (सिविल) (वेतन मैट्रिक्स लेवल 08– 35400–112400)	07 पद अ.ज.जा.–04 जिसमें से **01 पद दिव्यांग के लिए** ओ.ए.–एक बाजू OA = One Arm, ओ. एल.–एक टांग, OL = One Leg, एच.एच.–श्रवण वाधित, HH = Hearing Impaired अ.पि.व.–01 अ.जा.–02	1. सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 2. सिविल निर्माण कार्य में 02 वर्ष का अनुभव एवं मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।
3	उप–अभियंता (वि/या) (वेतन मैट्रिक्स लेवल 08– 35400–112400)	01 पद अनारक्षित–01	1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रीकल्स/मेकेनिकल से न्यूनतम त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या समकक्ष इंजीनियरिंग में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण।
4	कनिष्ठ अंकेक्षक (वेतन मैट्रिक्स लेवल 06– 25300–80500)	07 पद अनारक्षित–03 अ.ज.जा.–02 अ.पि.व.–01 अ.जा.–01	वाणिज्य में स्नातक, अर्थशास्त्र सहित एवं मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।
5	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (वेतन मैट्रिक्स लेवल 06– 25300–80500)	04 पद अनारक्षित–01 जो कि भू. पू.सै. हेतु आरक्षित अ.ज.जा.–02 अ.पि.व.–01	मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।) मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।
6	मानचित्रकार (वेतन मैट्रिक्स लेवल 08– 35400–112400)	01 पद अनारक्षित–01	1. मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से आर्किटेक्ट में डिप्लोमा 2. नगर एवं ग्रामीण निवेश में 05 वर्ष का अनुभव।

	2	3	4
	सहायक ग्रेड–03 (वेतन मैट्रिक्स लेवल 04– 19500–62000)	10 पद अनारक्षित–02 अ.ज.जा.–06 जिसमें से (01 महिला तथा 01 भू.पू. सै. हेतु आरक्षित) अ.जा.–02	मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर /प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र तथा कम्प्युटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।) मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।
8	सचिव वरिष्ठ (वेतन मैट्रिक्स लेवल 12– 56100–177500)	03 पद अनारक्षित–01 अ.ज.जा.–01 अ.पि.व.–01	पोस्ट ग्रेजुयेट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग /पोस्ट ग्रेजुयेट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट/एम. एस.सी. इन एग्रीकल्चर इकॉनामिक्स, सहित न्यूनतम 05 वर्ष का प्रबंधकीय अथवा द्वितीय श्रेणी प्रशासनिक पद का अनुभव।
9	सचिव कनिष्ठ (वेतन मैट्रिक्स लेवल 10– 43200–136500)	07 पद अनारक्षित–03 अ.ज.जा.–02 अ.पि.व.–01 अ.जा.–01	स्नातकोत्तर कृषि/मार्केटिंग, सहित न्यूनतम 02 वर्ष का प्रबंधकीय अथवा प्रशासनिक पद का अनुभव।
10	मंडी निरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स लेवल 07– 28700–91300)	06 पद अनारक्षित–02 अ.ज.जा.–02 अ.पि.व.–01 अ.जा.–01	स्नातक कृषि/वाणिज्य।
11	उप–निरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स लेवल 06– 25300–80500)	112 पद अ.ज.जा.–94 जिसमें से (28 महिला तथा 09 भू.पू. सै. हेतु आरक्षित) अ.जा.–18 जिसमें से (05 महिला तथा 02 भू.पू. सै. हेतु आरक्षित)	स्नातक द्वितीय श्रेणी में।
(ब) संविदा पर व्यापम के माध्यम से			
1	उप–अभियंता (सिविल) (पु.वे.स. में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 08 पर देय मासिक संविदा वेतन 23010/–)	04 पद अ.ज.जा.–01 अनारक्षित–01 अ.पि.व.–01 अ.जा.–01	1. सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 2. सिविल निर्माण कार्य में 02 वर्ष का अनुभव एवं मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।
2	प्रोग्रामर (पु.वे.स. में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 12 पर देय मासिक संविदा वेतन 36465/–)	01 पद अ.ज.जा.–01	एम.सी.ए./बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईस आई टी) प्रथम श्रेणी न्यूनतम 60 प्रतिशत।

	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (पु.वे.स. में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 06 पर देय मासिक संविदा वेतन 16445/–)	10 पद अनारक्षित–04 जिसमें से (01 महिला तथा 01 भू. पू.सै. हेतु आरक्षित) अ.ज.जा.–03 अ.पि.व.–02 अ.जा.–01	मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की गति 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।) मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी को प्राथमिकता।

<u>नियुक्ति हेतु अन्य शर्तें :–</u>

1. आवेदक का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्य विशेष वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा जो आयु छूट दी गई है वे छूट यथावत लागू रहेगी । मंडी बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/संविदा कर्मचारियों को निर्धारित आयु सीमा में 05 वर्ष की शिथिलता प्रदान की जावेगी । सभी प्रकार के छूटों को लागू करने के बाद सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नही होगी । अतः आवेदक अपने आयु सीमा में छूट हेतु शासकीय नियमों निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें एवं उसके प्रमाण स्वरूप आवश्यक स्वप्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावें।
2. आवेदित पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों सहित जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिये प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हों, उपलब्ध करावें।
3. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ स्थायी जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ0ग0) द्वारा जारी जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति।
4. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिये आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यार्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जातें है तो ऐसे रिक्त पद अग्रेषित (Caryforward) नही किये जायेगें, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेगें जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है। अनारक्षित पद के विरुद्ध सभी वर्ग के योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते है ।
5. निःशक्त और भूतपूर्व सैनिक के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेन्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जावेगा।
6. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता/शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन करें। चयन प्रकिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदन के अयोग्य पाये जाने पर आवेदन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा आवश्यकतानुसार समुचित वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
7. छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन आवश्यक है आवेदन पत्र में पंजीयन कमांक एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है।
8. उपरोक्त पदो पर किसी भी अभ्यार्थी की नियुक्ति के लिये किसी भी प्रकार की अनुशंसा अथवा दबाव वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा ।
9. अभ्यार्थी की सेवा राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के अधीन शासित होगी ।

विज्ञापन मे दर्शाये गये पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने संबंधी निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर को होगा ।

11. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक, का होगा ।

12. शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत नियमित/संविदा कर्मचारियों को आवेदन पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

13. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले हस्ताक्षर रहित आवेदन बिना निर्धारित प्रारूप वालें आवेदन, बिना फोटोग्राफ के आवेदन, आयु एवं योग्यता के प्रमाण के रूप में बिना प्रमाण पत्र/अंक–पत्र वालें आवेदन जाति प्रमाण पत्र (जो लागू हों) के बिना आवेदन अपूर्ण आवेदन पर विचार नही किया जायेगा ।

14. लिफाफें के उपर उम्मीदवार अपनी श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) महिला, भूतपूर्व सैनिक, निःशक्तजन एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें । प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जाए । एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख होने पर अथवा संलग्न पाये जाने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा ।

15. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो संबंधित की नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जावेगी ।

16. प्रतीक्षा सूची जारी दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी ।

17. पद भरने या नही भरने या विज्ञापन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड का होगा।

18. जिन पदनाम में मंडी बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख है, उन पदों की भर्ती में मंडी बोर्ड में संविदा/विभागीय कार्यरत दैनिक वेतन भोगी को 03 वर्ष तक की अवधि के कार्यरत कर्मचारियों को कुल प्राप्तांक का 05 प्रतिशत भारिता (Weightage) तथा 03 वर्ष से अधिक की अवधि के कार्यरत कर्मचारियों को कुल प्राप्तांक का 10 प्रतिशत भारिता (Weightage) दी जावे।

19. सेवा मे रिक्त पदो पर सीधे भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

20. परिवीक्षा अवधि में प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित विभागीय प्रशिक्षण व विभागीय परीक्षा पास करना होगा।

21. परिवीक्षा अवधि छः माह के हिसाब से दो बार यानी कुल बारह माह तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

22. प्रत्येक परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लघंन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

23. सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा प्रांरभ करने के तत्काल पूर्व में उसके स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुम्ब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की, उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित समस्त अचल संपत्तियों की घोषणा करेगा।

24. उसे भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्टा घोषित करनी होगी, और

25. वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनो नियमों तथा शर्तो की जानकारी है व वह उसका पूर्णतः पालन करेगा।

26. यह नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर के रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होगी।

संयुक्त संचालक
छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर